संख्या-6/2018/503/46-1-18-1000(56)/2014

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 07 मार्च, 2018

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2017-18 की कार्ययोजना के सापेक्ष कृषि विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि को वर्ष 2017-18 में **हाईक्वाल्टी शुगरकेन फाउन्डेशन शीड एण्ड प्राईमरी शीड प्रोडेक्शन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हेतु रु. 628.64 लाख तथा इनहांसिंग शुगरकेन प्रोडेक्शन इन यू.पी. हेतु रु. 548.37 लाख** कुल अवमुक्त धनराशि रू0 1177.01 लाख का व्यय/उपयोग की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-कैं.750-51/रा0कृ.वि.योजना, दिनांक 28.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-116/12-3-2018-100(43)/2017 दिनांक 22 फरवरी, 2018 के द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के अनुक्रम में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा मुख्य सचिव, उ.प्र. की अध्यक्षता वाली एस.एल.एस.सी. द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष गन्ना विकास विभाग के **हाईक्वाल्टी सुगरकेन फाउन्डेशन शीड एण्ड प्राईमरी शीड प्रोडेक्सन एण्ड डिस्ट्रीब्यूसन प्रोग्राम तथा इनहांसिंग सुगरकेन शीड प्रोडेक्सन इन यू.पी.** हेतु, वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष क्रमशः **रु. 628.64 लाख (रुपये छः करोड़ अट्ठाईस लाख चौसठ हजार मात्र)** एवं **रु. 548.37 लाख (रुपये पाँच करोड़ अड़तालिस लाख सैतीस हजार मात्र)** अर्थात कुल धनराशि रू0 1177.01 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ सत्हत्तर लाख एक हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-116/12-3-2018-100(43)/2017 दिनांक 22 फरवरी, 2018 के माध्यम से अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि से, **इस पत्र के संलग्नक में दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट/कार्ययोजना के अनुसार,** वित्तीय वर्ष 2017-18 में गन्ना विकास विभाग के शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम के भौतिक कार्यो हेतु, निम्नलिखित शर्तो के अधीन, उपयोग/व्यय किये जाने की एतद्द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति /अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के उक्त शासनादेश संख्या-116/12-3-2018-100(43)/2017 दिनांक 22 फरवरी, 2018 में दिये गये शर्तो/प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाएं/ उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(2) गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2077सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-2331सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या-1492 सी0डी0/46-3-23-1000(72)/2012 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तो (गाइड लाईन्स) के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमों को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2017-18 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाय तथा सम्पन्न कार्यक्रमों की समुचित पुष्टि कराते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दृविरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं अपर गन्ना आयुक्त (विकास) का होगा।

(4) प्रस्तर-2 में वर्ष 2017-18 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाय। तद्नुसार उपयोग की गयी धनराशि का कार्यक्रमवार/जिलावार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कृषि एवं अन्य विभागों के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/नियमो एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या-6/2018/503(I)46-1-18-1000(56)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ.प्र. शासन।
2- अपर गन्ना आयुक्त(विकास)/वित्त नियन्त्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ.प्र.।
3- निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ।
4- प्रभारी निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर।
5- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
6- समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ.प्र.।
7- विशेष सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।
8- समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी**(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र. **(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
10- नोडल अधिकारी(आर.के.वी.वाई.), उ.प्र. कृषि भवन लखनऊ।
11- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
12- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर दिवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-6/2018/503/46-1-18-1000(56)/2014 लखनऊ : दिनांक 7 मार्च, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि रु० में)

क्र सं	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम		प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम		यंत्र वितरण कार्यक्रम		माईक्रोन्यूटियेन्ट वितरण कार्यक्रम		क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम		उत्पादकता पुरस्कार की मॉग	योग		कुल योग
		सामान्य	अनुदान सं०–83	सामान्य	अनुदान सं०–83	सामान्य	अनुदान सं०–83	सामान्य	अनुदान सं०–83	सामान्य	अनुदान सं०–83	सामान्य	सामान्य	अनुदान सं०–83	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	सहारनपुर	513500	136500	2005100	559900	1312384	386616	782500	231000	720000	180000	40000	5373484	1494016	6867500
2	मुजफ्फरनगर	750500	199500	3283950	916050	968231	285232	1265000	373000	802500	210000	40000	7110181	1983782	9093963
3	शामली	15800	4200	4098225	1141775	772445	227555	322500	95000	292500	75000	40000	5541470	1543530	7085000
योग मण्डल		1279800	340200	9387275	2617725	3053060	899403	2370000	699000	1815000	465000	120000	18025135	5021328	23046463
4	मेरठ	196400	52200	2975350	830200	3299469	971994	676500	198500	622500	150000	40000	7810219	2202894	10013113
5	बागपत	132750	35250	2002775	559225	1226141	361209	464500	136000	420000	105000	40000	4286166	1196684	5482850
6	गाजियाबाद	93250	24750	332800	92700	0	0	0	0	112500	15000	40000	578550	132450	711000
7	हापुड़	112200	29800	415325	115675	0	0	96000	27500	127500	15000	40000	791025	187975	979000
8	बुलन्दशहर	210800	56000	1444350	403650	1763723	519577	417000	122000	442500	105000	40000	4318373	1206227	5524600
योग मण्डल		745400	198000	7170600	2001450	6289333	1852780	1654000	484000	1725000	390000	200000	17784333	4926230	22710563
9	मुरादाबाद	0	0	0	0	721077	212423	0	0	352500	90000	40000	1113577	302423	1416000
10	रामपुर	165900	44100	733225	204275	545395	160668	222500	65000	172500	45000	40000	1879520	519043	2398563
11	अमरोहा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	40000
12	बिजनौर	0	0	1016750	283250	2852388	840287	0	0	1341000	345000	40000	5250138	1468537	6718675
13	सम्भल	0	0	0	0	0	0	0	0	165000	30000	40000	205000	30000	235000
योग मण्डल		165900	44100	1749975	487525	4118860	1213378	222500	65000	2031000	510000	200000	8488235	2320003	10808238
14	बरेली	0	0	748625	208550	0	0	0	0	457500	120000	40000	1246125	328550	1574675
15	बदायू	197500	52500	69425	19325	135372	39878	73200	21000	67500	15000	40000	582997	147703	730700
16	पीलीभीत	0	0	0	0	0	0	0	0	157500	30000	40000	197500	30000	227500
17	शाहजहाँपुर	71100	18900	312850	87150	0	0	0	0	352500	75000	40000	776450	181050	957500
18	कासगंज	79000	21000	488825	136175	0	0	0	0	60000	15000	40000	667825	172175	840000
19	अलीगढ	118500	31500	391050	108950	0	0	0	0	120000	30000	40000	669550	170450	840000
योग मण्डल		466100	123900	2010775	560150	135372	39878	73200	21000	1215000	285000	240000	4140447	1029928	5170375
20	लखीमपुर	0	0	6366700	1773800	2982679	878671	2041000	600500	1545000	405000	40000	12975379	3657971	16633350
21	सीतापुर	442000	117450	2113725	588900	1367516	402752	0	0	592500	150000	40000	4555741	1259102	5814843
22	रायबरेली	35550	9450	86325	24000	105633	31117	28000	7500	30000	0	40000	325508	72067	397575
23	फरूर्खाबाद	64800	17200	195525	54475	68298	20119	0	0	75000	15000	40000	443623	106794	550417
24	हरदोई	217250	57750	976075	271925	349755	103033	371500	108500	240000	60000	40000	2194580	601208	2795788
25	कानपुर	0	0	143575	40000	0	0	0	0	45000	0	40000	228575	40000	268575
योग मण्डल		759600	201850	9881925	2753100	4873881	1435692	2440500	716500	2527500	630000	240000	20723406	5737142	26460548
26	फैजाबाद	438200	116450	1743750	485800	198712	58538	166800	48500	217500	45000	40000	2804962	754288	3559250
27	सुल्तानपुर	120500	32000	244425	68075	0	0	0	0	82500	15000	40000	487425	115075	602500
28	बाराबंकी	167900	44600	205700	57300	86997	25628	0	0	82500	15000	40000	583097	142528	725625
29	जौनपुर	59250	15750	156425	43575	24719	7281	0	0	37500	0	40000	317894	66606	384500
30	गाजीपुर	39500	10500	97775	27225	85935	25315	39000	11000	60000	0	40000	362210	74040	436250
31	वाराणसी	13250	3500	58675	16325	33602	9898	19500	5000	22500	0	40000	187527	34723	222250
32	अम्बेडकरनगर	141050	37450	391050	108950	267383	78767	0	0	60000	15000	40000	899483	240167	1139650

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योग मण्डल		979650	260250	2897800	807250	697348	205427	225300	64500	562500	90000	280000	5642598	1427427	7070025
33	गोण्डा	396200	105300	1744500	486000	0	0	723000	212000	435000	105000	40000	3338700	908300	4247000
34	बलरामपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	40000
35	बहराईच	156900	41650	885300	246600	0	0	0	0	480000	120000	0	1522200	408250	1930450
योग मण्डल		553100	146950	2629800	732600	0	0	723000	212000	915000	225000	80000	4900900	1316550	6217450
36	गोरखपुर	173800	46200	244425	68075	0	0	77500	22500	45000	0	40000	580725	136775	717500
37	बस्ती	338500	89950	1490700	415300	0	0	0	0	367500	90000	40000	2236700	595250	2831950
38	महराजगंज	94800	25200	439950	122550	48664	14336	58500	16500	112500	15000	40000	794414	193586	988000
39	सिद्धार्थनगर	9900	2600	48900	13600	27036	7964	0	0	22500	0	40000	148336	24164	172500
योग मण्डल		617000	163950	2223975	619525	75700	22300	136000	39000	547500	105000	160000	3760175	949775	4709950
40	कुशीनगर	398150	105800	1753225	488425	633637	186663	561000	164500	435000	105000	40000	3821012	1050388	4871400
41	देवरिया	52150	13850	229725	63975	46184	13604	0	0	60000	15000	40000	428059	106429	534488
42	मऊ	69150	18350	273750	76250	77245	22755	89000	26000	75000	15000	40000	624145	158355	782500
43	बलिया	20950	5550	91900	25600	21630	6370	30500	8500	30000	0	40000	234980	46020	281000
44	आजमगढ	395000	105000	860325	239675	0	0	0	0	108000	15000	40000	1403325	359675	1763000
योग मण्डल		935400	248550	3208925	893925	778696	229392	680500	199000	708000	150000	200000	6511521	1720867	8232388
योग प्रदेश		6501950	1727750	41161050	11473250	20022250	5898250	8525000	2500000	12046500	2850000	1720000	89976750	24449250	114426000
प्रशिक्षण (गन्ना किसान संस्थान लखनऊ)													1007250	267750	1275000
उ०प्र०गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर,उ०प्र० को ब्रीडर शीड उत्पादन कार्यक्रम हेतु													2000000	0	2000000
सम्पूर्ण योग–													92984000	24717000	**117701000**

(धनराशि रु० ग्यारह करोड सतहत्तर लाख एक हजार मात्र)

नोटः-जनपद शामली, हापुड, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा फैजाबाद द्वारा आहरण कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– गन्ना किसान संस्थान लखनऊ एवं उ०प्र० गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर को आवंटित धनराशि, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय गन्ना आयुक्त द्वारा गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर को उपलब्ध कराया जयेगा।

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।